



क्रमांक ४५ /बै.प्र./स्थायी समिति/2017

बिलासपुर दिनांक : 22-03-2017

## ॥ अधिसूचना ॥

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, कुलपति महोदया द्वारा डॉ. एस.एस धुरिया, सह आचार्य - वानिकी विभाग को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में सदस्य नामांकित किया गया है।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में विद्यापरिषद् की ओर से नामांकित सदस्य का कार्यकाल दिनांक 10.12.2018 अथवा विद्यापरिषद् की अवसान होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक ४५ /बै.प्र./स्थायी समिति/2017

बिलासपुर दिनांक : 22-03-2017

प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
03. डॉ. एस.एस धुरिया, सह आचार्य - वानिकी विभाग को सूचनार्थ। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2017 को सायं 4:00 बजे आयोजित है। उक्त बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थित है।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव (कार्यवाहक)